रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 21, 2019/फाल्गुन 2, 1940
No. 123] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 2019/PHALGUNA 2, 1940

गृह मंत्रालय

(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 139(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और गृह मंत्रालय (स्वापक नियंत्रण ब्यूरो) अधीक्षक (समूह "ख" पद) भर्ती नियम 2010, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, (अधीक्षक) भर्ती नियम, 2019 है।

   (2.) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन मान.**—उक्त पदों की संख्या, वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में वेतनमान वही होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति और आयु-सीमा तथा अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हता.—वह व्यक्ति**

   (a) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

   (b) जिसने, अपनी पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर लिया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों कि बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय- सरकार द्वारा इस संबंध में समय- समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अधीक्षक	41* (2019)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर - 08 (रुपये 47600-151100)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो तो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति, चाहे यह सीधी- भर्ती अथवा प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा विलय द्वारा की गयी हो, तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी गई रिक्तियों कि प्रतिशतता	जिस ग्रेड से प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा विलय द्वारा प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा विलय किया जाना है	यदि एक विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाएगा
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति:** वेतन मेट्रिक्स 07 (रुपये 44900-142400) में ऐसा आसूचना अधिकारी जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है तथा स्वापक नियंत्रण	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार हेतु) में निम्न सम्मिलित होंगे : (1) उप महानिदेशक (मुख्यालय), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो **-अध्यक्ष** (2) उप निदेशक (प्रचालन), स्वापक	अनिवार्य नहीं

	ब्यूरो अथवा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा स्वीकृत किसी अन्य संस्थान द्वारा तैयार अथवा प्रदान किया गया तीन सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो , कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	नियंत्रण ब्यूरो **-सदस्य** (3) उप सचिव (सुरक्षा) अथवा निदेशक (सुरक्षा) आंतरिक सुरक्षा-II खंड , गृह मंत्रालय **-सदस्य**	

[फा. सं. I-12014/52/2017-एन.सी.बी.-II]

पुण्य सलिला श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव